



संख्या : /जी०एस०(शिक्षा)/ A3-124/2021

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून: दिनांक 19 अक्टूबर, 2022

कृपया अपने पत्र संख्या: 2461 दिनांक 11 जनवरी, 2021 एवं पत्र संख्या: 665 दिनांक 17 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, मालधनचौड़, नैनीताल को बी०ए० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय, मालधनचौड़, (नैनीताल)	बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र)	80 सीट (प्रति विषय)	2020-21 2021-22

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के 02 माह के भीतर अपूर्ण मानक (भवन, फैंकल्टी, पुस्तकालय, पुस्तकें एवं फर्नीचर) U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा तथा जिन मानकों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासन/उच्च शिक्षा विभाग से कार्रवाई अपेक्षित हो, इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के पत्र सं०-2131 दिनांक 07 सितम्बर, 2022 के क्रम में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव ससमय निर्धारित समय सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 2730 (1)/जी०एस०/शिक्षा/ A3-124/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मालधनचौड़, नैनीताल।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० मदीरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।